रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली मंगलवार, मार्च 22 1977/चैत्र 1, 1899
No. 85] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 1977/CHAITRA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March 1977

G S R 122(E) —In exercise of the powers conferred by section 37 of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act 1974 (57 of 1974) the Central Government hereby makes the following rules namely —

1 **Short title and commencement** —(1) These rules may be called the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Rules 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 **Definitions** —In these rules unless the context otherwise requires —

(a) 'Act" means the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act 1974 (57 of 1974),

(b) 'section" means a section of the Act

3 **Time limit for intimation** —Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government and every person holding any charge lien or other interest in or in relation to any such property, shall give intimation of such mortgage charge lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date as may be specified by the Central Government under section 20

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may receive the intimation within a further period of thirty days, but not thereafter.

4. **Manner of intimation.**—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3, shall be in writing, addressed to the Commissioner and shall contain the following particulars, namely —

(a) name, description and full address of the mortgage, charge lien or other interest holder;

(b) name, description and full address of the sick textile undertaking;

(c) name and address of the owner or owners of the sick textile undertaking;

(d) amount of claim (in Indian currency) as follows:—

(i)	under sub-section (5) of section 4 .	Rs.
(ii)	under section 8	Rs
(iii)	under sub-section (1) of section 9	Rs.
(iv)	under sub-section (2) of section 9	Rs
(v)	under sub-section (2) of section 18 ..	Rs
(vi)	under sub-section (3) of section 18 .	Rs.
(vii)	Total amount of claim ..	Rs

(e) particulars of the instrument if any, by which the mortgage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument;

(f) amount, if any, already received with particulars;

(g) any other particular relevant to the claim,

(h) relief claimed.

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee or the person holding the charge, lien or other interest, or by the duly authorized agent or person for the claimant

(3) Intimation shall be forwarded to the office of the Commissioner on all working days during office hours or may be sent by registered post with acknowledgement due

[No F. 24012/13/74-NTC]

P. P. SINGLA, O S D./Jt Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1977

सा० का० नि० 122(अ).—राज्य सरकार, रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** —(1) इन नियमो का नाम रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे ।

2. **परिभाषाएं** —इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57) अभिप्रेत है ;

(ख) धारा से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

3 **प्रज्ञापन के लिए समय सीमा**—किसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में विहित हो गई है, बन्धकदार और ऐसी सम्पत्तियों में या उनसे संबंधित कोई प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार धारा 20 के अधीन विनिर्दिष्ट करे, तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे बन्धक, प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित की प्रज्ञापना आयुक्त को देगा ।

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाए कि बन्धकरणदार या ऐसा प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर प्रज्ञापना देने में पर्याप्त कारण से बाधित हुआ है तो वह आगे के तीस दिन की अवधि के भीतर, किन्तु उसके पश्चात् नहीं, प्रज्ञापना प्राप्त कर सकेगा ।

4. **प्रज्ञापन देने की रीति**—(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दिया जाने वाला प्रत्येक प्रज्ञापन लिखित में आयुक्त को सम्बोधित होगा और उसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात् :—

(क) बन्धक, प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले का नाम और पूरा पता ;

(ख) रुग्ण कपड़ा उपक्रम का नाम, ब्यौरे और पूरा पता,

(ग) रुग्ण कपड़ा उपक्रम के स्वामी या स्वामियों का नाम और पूरा पता ।

(घ) दावे की रकम (भारतीय मुद्रा में) निम्नलिखित रीति से—

(i)	धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन	रु०
(ii)	धारा 8 के अधीन	रु०
(iii)	धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन	रु०
(iv)	धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन	रु०
(v)	धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन	रु०
(vi)	धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन	रु०
(vii)	दावे की कुल रकम	रु०

(ङ) लिखित का ब्यौरा, यदि कोई हो, जिसके द्वारा बन्धक, प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित सुनिश्चित किए जाते हैं, जो लिखित की एक अभिप्रमाणित प्रति से समर्थित होना चाहिए ।

(च) पहले से प्राप्त रकम, यदि कोई हो, ब्यौरे सहित ।

(छ) दावे से सुसंगत कोई अन्य ब्यौरा ।

(2) प्रत्येक प्रज्ञापन बन्धकदार या प्रभार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या दावेदार के अभिकर्ता या व्यक्ति द्वारा, जो सम्यक रूप से प्राधिकृत हो, सम्यक् से हस्ताक्षरित होगा ।

(3) प्रज्ञापन आयुक्त के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में कार्यालय काल के दौरान अग्रेषित किया जाएगा या रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकेगा ।

[सं० फा० 24012/13/74-एन०टी०सी०]

पी० पी० सिंगला,

ओ०एस०डी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977